कार्यालय नजारत विभाग,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।
दिनांक 01.06.2023

सार्वजनिक सूचना

न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में स्क्रैप के रूप में रखे हुए लकडी की चौखट, विद्युत पैनल व अन्य निष्प्रयोज्य सामान तथा पाईप, एंगल व अन्य लोहे का निष्प्रयोज्य सामान का ठेका छोडे जाने हेतु दिनांक 19 जून, 2023 की सांय 04.00 बजे मुख्य न्यायालय भवन के भू तल पर स्थित सेन्ट्रल हॉल में नीलामी खुली बोली के द्वारा की जायेगी। उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामान मुख्य न्यायालय परिसर में स्थित है तथा सामान जैसी स्थिति में है, वैसा ही नीलाम किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्यदिवस में उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामान का निरीक्षण न्यायलय परिसर, राजनगर में किया जा सकता है।

नीलामी सम्बन्धी शर्ते एंव अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओ को प्रत्येक ठेके हेतु बोली लगाने से पूर्व अंकन 20,000/– (बीस हजार) धरोहर धनराशि के रूप में जमा करानी होगी।

01/06/23
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–14, गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित :–

1– नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।
2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
3– नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जनपद गाजियाबाद ।
4– तहसीलदार, सदर, जनपद गाजियाबाद ।
5– नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
6– स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
7– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एंव माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

कार्यालय – नजारत विभाग,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद
दिनांक –01.06.2023

न्यायालय परिसर, गाजियाबाद में रखे हुए निष्प्रयोज्य सामान की बाबत नीलामी हेतु आवश्यक सूचना

1. जो व्यक्ति बोली बोलना चाहेगें उन्हें अंकन 20,000/- रूपये नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के नाम प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा तथा साथ में अपने निवास/पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटो भी जमा करनी होगी।

2. सरकारी बोली अथवा न्यूनतम बोली समिति द्वारा निश्चित की जायेगी। नीलाम के इच्छुक व्यक्ति को उससे अधिक की बोली बोलनी होगी।

3. सर्वोच्च बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर सामान का कब्जा लेने से पूर्व बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। अन्था उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

4. न्यायालय में रखे निष्प्रयोज्य सामान का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा।

5. नीलामी हेतु सन्दर्भित निष्प्रयोज्य सामान का कब्जा जहां है जैसा है के आधार पर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार का ढुलाई अथवा मार्ग व्यय देय नही होगा। क्रेता को स्वयं के खर्चे पर सामान का उठान करना होगा।

6. नीलाम क्रेता को नीलामी सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं स्वयं पूर्ण करनी होगी।

7. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि नीलामी के उपरान्त उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

8. किसी भी स्थिति में माननीय जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा तथा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

01/06/23

अध्यक्ष नीलाम समिति/
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–14, गाजियाबाद।